भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं० ई सी आई/प्रेस नोट/28/2015 **दिनांक: 30 मार्च, 2015**

<u>प्रेस प्रकाशनी</u>

भारत निर्वाचन आयोग ने ''राजैनतिक वित्त और विधि आयोग की संस्तुतियों'' पर राष्ट्रीय विचार विमर्श का आयोजन किया जो 30 मार्च, 2015 को विज्ञान भवन में आयोजित किया गया।

यह विचार विमर्श दिनांक 12 मार्च, 2015 को प्रस्तुत की गई विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट जिसमें देश में निर्वाचन सुधारों हेतु विभिन्न सिफारिशें की गई थी, की पृष्ठभूमि में प्रारंभ किया गया था।

इस संगोष्ठी में न्यायमूर्ति ए.पी. शाह, अध्यक्ष, विधि आयोग, सभी पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री लिंगदोह, श्री कृष्णामूर्ति, श्री गोपालास्वामी, श्री चावला और श्री कुरैशी; पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त श्री सत्यानंद मिश्रा; श्री एस. एस. खान, पूर्व सदस्य, सी बी डी टी और अन्य प्रतिष्ठित मेहमानों जिनमें राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों, प्रतिष्ठित अधिवक्ताओं, अकादमी सदस्यों, मीडिया प्रतिनिधियों, सिविल सोसाइटी प्रतिनिधियों और छात्र प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इस सत्र की शुरूआत श्री पी.के. दाश, महानिदेशक, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्वागत भाषण के साथ की गई थी, उद्घाटन भाषण डा. नसीम जैदी, निर्वाचन आयुक्त द्वारा दिया गया और श्री एच. एस. बह्मा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा इसे संबोधित किया गया था। न्यायमूर्ति ए.पी. शाह, अध्यक्ष, विधि आयोग ने सामान्य सत्र को संबोधित किया और राजनैतिक वित्त पर विधि आयोग की सिफारिशों का सिंहावलोकन किया।

इसके पश्चात चार विभिन्न तकनीकी विषयों यथा : राजनैतिक वित्त पर अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियां, विधि आयोग की संस्तुतियां तथा निर्वाचन प्रचार के दौरान वस्तु रूप में सरकारी सब्सिडी का विस्तार करना; राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को अंशदान पर सिफारिशें तथा पार्टियों, अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय के प्रकटन और लेखों पर सुधार तथा विधि

आयोग की सिफारिशें और वोट खरीदने पर तृतीय पक्ष प्रचारकर्ता और सुधार पर भी सत्र रखे गए थे।

इन विषयों पर प्रतिभागियों द्वारा अपने संबंधित समूहों में विस्तार से सुविचारित चर्चा की गई। समूहों ने उनके द्वारा विमर्शित विषयों पर अपने विचारों का सार प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुतीकरण दिया।

अंततः, एक दिवसीय राष्ट्रीय विचार विमर्श का समापन मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री एच. एस. ब्रह्मा और निर्वाचन आयुक्त डा. नसीम जैदी द्वारा विदाई भाषण से किया गया।

विचार विमर्श समूहों ने महत्वपूर्ण टिप्पणियां की और भारत में राजनीतिक वित्त के विभिन्न पहलुओं पर और विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर अपनी सुविचारित राय दी।

निम्नलिखित मुद्दों पर व्यापक सहमति बनी। हालांकि, यह परिपूर्ण सूची नहीं है।

1. निर्वाचन में 'अपार धन' पर नियंत्रण लगाया जाना है।
2. मत खरीदने पर विधि में नियंत्रण लगाया जाना है।
3. दलों/अभ्यर्थियों के लेखाओं में पारदर्शिता।
4. राजनीतिक दल को कोई भी कारपोरेट संदान नहीं।
5. कारपोरेट संदानों के लिए राष्ट्रीय निर्वाचकीय न्यास का निर्वाचन आयोग के नियंत्रण के अधीन होना।
6. भारत निर्वाचन आयोग को नियम बनाने की शक्तियां दी जाए।
7. तृतीय पक्ष प्रचारकर्ताओं की निगरानी की जाए।
8. निर्वाचकीय अपराधों के लिए मुकदमा चलाने हेतु फॉस्ट ट्रैक न्यायालय

राष्ट्रीय विचार विर्मश पर विस्तृत रिपोर्ट का संकलन किया जाएगा और आयोग की वेबसाइट पर इसे उपलब्ध कराया जाएगा।

ह./-
(धीरेन्द्र ओझा)
निदेशक